सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 53 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)

1 फरवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2017

संख्या-16/विविध-04-04/2017 का.-10457-- राज्य अन्तर्गत सभी प्रखण्डों एवं ग्रामों में संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारा भुगतान किये जाने के संबंध में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को नोडल विभाग घोषित किया जाता है।

आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाना है:-

1. प्रखण्ड/ग्राम स्तर पर संचालित सभी योजनाओं में आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किये जाने की स्थिति - जिसके अन्तर्गत मनरेगा, पहल

योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, कैदियों से संबंधित कार्य, भू-अभिलेख संबंधी कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, शिक्षक एवं सफाई कर्मचारी से संबंधित प्रतिवेदन ।

2. जिला/प्रखण्ड/ग्रामों में 100 प्रतिशत आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था लागू करने का मॉडल प्लान ।

3. गैर विद्युतीकृत ग्रामों की सूची ।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति ।

संबंधित विभाग उपर्युक्त बिन्दुओं पर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक विभाग को भेजना सुनिश्चित कराएंगे तथा एतदर्थ उप सचिव से अन्यून एक नोडल पदाधिकारी मनोनीत करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 53 -- 50